न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/287

राजाराम मीणा आत्मज स्वर्गीय श्री जगना जी जाति मीणा निवासी ग्राम कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. चौथमल उर्फ चौथूया आत्मज श्री गोमदा जी जाति मेहर निवासी ग्राम कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा हाल कच्ची बस्ती देवनारायण मंदिर के पास केशोपुरा कोटा ।
2. दानमल आत्मज स्वर्गीय श्री जगना जी जाति मीणा निवासी ग्रमा बराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में आने जाने का रास्ता उत्तर दिशा में स्थित रास्ते से है तथा पूर्व में भी प्रार्थी इसी रास्ते से होकर खसरा नम्बर 360, 361 के सहारे–सहारे की पूर्वी दिशा की ओर तथा खसरा नम्बर 537 की पश्चिम दिशा से आता जाता था ओर पूर्व में यहॉ पर एक 15 फिट चौडा रास्ता मौजूद था लेकिन अप्रार्थीगण ने धीरे–धीरे उपरोक्त रास्ते को अपनी खेती में लिया लिया और रास्ता बन्द कर दिया जिससे प्रार्थी के खेत में आने–जाने में व्यवधान हो रहा है तथा प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत पर आने–जाने का रास्ता मौजूद नहीं है । प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने का अधिकार प्राप्त है तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थी के खेत में आने–जाने के रास्ते को बन्द करने अथवा व्यवधान पैदा करने का अधिकार नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थी के खेत में उत्तर दिशा में स्थित मुख्य रास्ते से प्रार्थी के खेत में पूर्व में जो रास्ता

आराजी खसरा नम्बर 360, 361 के सहारे–सहारे अर्थात् पूर्व दिशा में तथा अप्रार्थी कम 1 व 2 के खसरा नम्बर 537 के पश्चिम दिशा में से पूर्व में आने जाने वाले 15 फीट चौडे रास्ते को चालू करवाया जावे तथा ऐसा नहीं किये जाने की सूरत में प्रार्थी को अपने खेत में उत्तर दियाा में स्थित रास्ते से आने–जाने बाबत् 15 फीट चौडे रास्ते को दिलाया जावे इसके लिए अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जावे विकल्प में प्रार्थी को उत्तर दिशा से मौजूद मुख्य रास्ते से आने–जाने बाबत् रास्ता दिलवाए जाने के आदेश पारित किये जावें । प्रार्थी द्वारा डीएलसी की दर अनुसार राशि अदा कर दी जावेगी ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.05.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नम्बर 537 रकबा 1.21 हैक्टर भूमि पर उत्तरी पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे 92 मीटर लम्बा 12 मीटर चौडा रास्ते का माप कुल 1104 वर्गमीटर को हैक्टर में दर्ज कर नियमानुसार डीएलसी की दुगनी राशि की गणना कर रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदादत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा विधिक राजीनामा भी पेश नहीं किया था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत की भावना के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । रेस्पोडेन्ट के पास 2 वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसी दिन निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई थी । अपीलान्ट न तो लोक अदालत में उपस्थित हुए थे और नही पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया था । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने पास 2 वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं फिर भी अपीलान्ट की आराजी में से रास्त कायम करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरटी 2016 (1) पेज 649, 2014 (2) आरआरटी पेज 1440 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं । नक्शे में कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिवश 12 मीटर रास्ता अंकित कर दिया है । इसमें संशोधन अपील में किया जा सकता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय में इसी अनुसार संशोधन किया जावे व अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और उसको दिनांक 31.07.2015 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रार्थी वादी उपस्थित हुए हैं । अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन निर्णय पारित करते हुए रास्ता कायम किया गया है । अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । लोक अदालत में न तो पक्षकारान द्वारा विधिक राजीनामा पेश किया गया है और न ही उभयपक्ष लोक अदालत में उपस्थित हुए हैं, पक्षकारान के द्वारा कोई विधिवत राजीनामा पेश नहीं किया गया है तो अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह लोक अदालत की भावना के विरूद्ध पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा